न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 31/2021

अपीलार्थी –	*बनाम*	उत्तरदाता–
अचन कंवर पत्नी सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी लापलनाड़ी तहसील व जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.07.2021 जो प्रकरण सं. 27/2021 मे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.02.2022

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 27/2021 सरकार बनाम अचन कंवर में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का नांद द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लापलनाड़ी के खसरा नम्बर 731 रकबा 68–10 बीघा किस्म गैर मुमकीन आगोर भूमि में से 216 वर्गफीट भूमि पर गैर सायल अचन कंवर पत्नी सवाईसिंह कौम राजपूत सा0 देह द्वारा पक्का कमरा, शौचालय व स्नानघर बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल का पुत्र अधीनस्थ

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:11:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा जवाब प्रस्तुत किया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं गैर सायल के पुत्र के जवाब का परीक्षण एवं विवेचन उपरांत गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 23.07.2021 के द्वारा 01/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 10.09.2021 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–प. मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जिस अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट को अपीलाधीन खसरा नंबर 731 पर अतिक्रमी होना बताया जाकर बेदखली एवं जुर्माना से दण्डित किया गया है वह भूमि अपीलांट के आधिपत्य का खसरा नंबर 731 न होकर खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 855/732, 856/732, 857/732 व 732/747 की भूमि है जो अपीलांट व अपीलांट के अन्य सहखातेदार सगतसिंह, गंगसिंह, प्रतापसिंह, पृथ्वीसिंह, नरपतसिंह, हाथीसिंह, किसनकंवर वगैरह की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त भूमि के सेढ़े पर ही खसरा नंबर 731 की भूमि है जो राजस्व गांव नांद व राजस्व गांव सुरा के कांकण पर स्थित है। विवादित खसरा नंबर 731 के दक्षिणी–उत्तरी भाग व खसरा नंबर 857/732 (अपीलांट की खातेदारी भूमि) पर सरहद गांव सुरा का कांकण है जिस कारण उक्त भूमि ओवरलेप की भूमि है। इस ओवरलेप भूमि का हलका पटवारी ने पक्षकारान की उपस्थिति में कोई सीमांकन नहीं किया है जबकि मौके पर जो शौचालय, बाथरूम व पक्का मकान बना हुआ है वह मकान लगभग 40 वर्ष पूर्व का बना हुआ है और जो कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 857/732 में बना हुआ है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हलका पटवारी की रिपोर्ट के आधार

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:11:25 IST
Reason: SelfAttested

पर बिना तथ्यों की जांच व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही एकतरफा ढंग से बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है।

5. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब में राजकीय अभिभाषक ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा मौजा लापलनाड़ी के खसरा नम्बर 731 रकबा 68–10 बीघा किस्म गैर मुमकीन आगोर भूमि में से 216 वर्गफीट भूमि में पर गैर सायल अचन कंवर पत्नी सवाईसिंह कौम राजपूत सा0 देह द्वारा पक्का कमरा, शौचालय व स्नानघर बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई अपीलांट का पुत्र उपस्थित हुआ तथा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हलका पटवारी की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत जवाब तथ्यों के परे एवं प्रतिरक्षण का ठोस आधार नहीं होने से अपीलांट को मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया गया हैं। अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया हैं तथा इसके प्रतिरक्षण स्वरूप कोई साक्ष्य–सबूत नहीं है। इस पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

6. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा ग्राम लापलनाड़ी में अपना रहवास एवं कब्जा–अधिपत्य होना प्रकट किया है। विवादित खसरा नंबर 731 के दक्षिणी–उत्तरी भाग व खसरा नंबर 857/732 (अपीलांट की खातेदारी भूमि) पर सरहद गांव सुरा का कांकण है जिस कारण उक्त भूमि ओवरलेप की भूमि है। इस ओवरलेप भूमि का हलका पटवारी ने पक्षकारान की उपस्थिति में कोई सीमांकन नहीं किया है जबकि मौके पर जो शौचालय, बाथरूम व पक्का मकान बना हुआ है वह मकान लगभग 40 वर्ष पूर्व का बना हुआ है

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:11:25 IST
Reason: SelfAttested

और जो कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 857/732 में बना हुआ है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उक्त तथ्यों सहित जवाब प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जिस व्यक्ति की उपस्थिति दर्शाई गई है वह अपीलांट के विधिवत प्रतिनिधि नहीं है। इसके अलावा जहां तक मुतनाजा भूमि दो पृथक राजस्व ग्रामों की सीमा पर अवस्थित है तो सभी प्रभावित खातेदारान की उपस्थिति में भूमि की पैमाईश की जाकर सीमाज्ञान कराया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में किसी खसरे की सीमा जानकारी के बिना गैर सायल जो राजकीय भूमि का पड़ौसी खातेदार है का कब्जा राजकीय भूमि में होना निश्चय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष हलका पटवारी की धारा 91 की रिपोर्ट से मौके की वस्तुस्थिति ही स्पष्ट नहीं हो रही हैं कि अपीलांट का निर्माण खातेदारी भूमि में है अथवा सरकारी भूमि में हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की कार्यवाही एक सरसरी जांच कार्यवाही है जिसके द्वारा मौके कब्जे की विस्तृत जांच एवं वास्तविक तथ्यों के बारे में संतुष्टि आवश्यक है किन्तु हस्तगत प्रकरण में इसका अभाव रहा है, जिससे अपीलाधीन कार्यवाही दूषित एवं अपूर्ण होना प्रतीत होता है। ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूखण्ड पर कब्जा के सम्बन्ध में अपीलांट एवं हितबद्ध पक्षकारान की उपस्थिति में स्वयं मौका जांच करें तथा हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक एवं

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:11:25 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी से भिन्न अन्य भू–अभिलेख निरीक्षक के साथ टीम गठित कर से पैमाईश कराई जाकर रिपोर्ट ली जावें तथा अपीलांट के विरूद्ध जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 आर0एल0आर एक्ट पर अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:11:25 IST
Reason: SelfAttested